1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN S 892601

न्यास विलेख

यह चैरिटेबल ट्रस्ट विलेख दिनांक .....6/2/2025.....को इनके बीच निष्पादित किया गयाः–

1. श्री अजय शर्मा पुत्र विशम्भर दयाल शर्मा, उम्र 25 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी बोहरा की ढाणी, कालूवास, दौसा, राजस्थान–303505, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम

ATTESTED

NOTARY
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/2/2025

क्रमांक 14904 दिनांक 10-1-25

मुद्रांक का मूल्य 500

क्रेता का नाम

पिता/पति का नाम

निवास स्थान

क्रेता के हस्ताक्षर —

[illegible]

卐 राजकुमार सैनी 卐
ला. नं. 58/97 (स्टाम्प विक्रेता)
नगर निगम (मुख्यालय) के पास
टोंक रोड, जयपुर (राज.)

Copyright

विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 (आधार सख्या 577726312248) (जिन्हे इसके पश्चात "न्यास लेखक" सम्बोधित किया गया है।

प्रथमपक्षकार

2. विशम्बर दयाल शर्मा पुत्र श्री नरसिंह लाल शर्मा, उम्र 50 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी 84, कालूवास दौसा, राजस्थान-303505, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 (आधार सखंया 778144071020)

3. छोटी देवी पत्नी विशम्भर, उम्र 46 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी बोहरा की ढाणी, कालूवास दौसा, राजस्थान-303505, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031, (आधार सखंया 713349627867)

4. मनिषा शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र 25 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी 689, गोलीमार गार्डन के पीछे, राजीवपुरी,

Copyright

पुराना आमेर रोड, ब्रम्हपुरी, जयपुर-302002, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम बिहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 (आधार सख्या 393142297836)

5. मनिषा शर्मा पुत्री विशम्भर दयाल शर्मा, उम्र 24 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी बोहरा की ढाणी, कालूवास दौसा, राजस्थान-303505, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम बिहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 (आधार सख्या 329357376245)

(जिन्हे इसके पश्चात संयुक्त रूप से न्यासी/ न्यासियों सम्बोधित किया गया है, जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, वर्तमान में कार्यरत न्यासी या न्यासियों को तथा इनके बाद इनके पश्चातवर्ती पद धारण करने वालों को शामिल किया जायेगा।)

द्वितीयपक्षकार

1. यह कि न्यास लेख उक्त न्यासियों के साथ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये एक न्यास स्थापित करने की इच्छा रखते है।

ATTESTED
NOTARY
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

Copyright

2. यह कि न्यासियों ने न्यास लेखक के निवेदन पर, इस विलेख के अधीन पक्षकार बनकर न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और इस विलेख को क्रियान्वित कर रहे है।

3. यह कि इस विलेख के अधीन गठित किये जाने वाले सार्वजनिक न्यास के उद्देश्यों और नियमों की घोषणा करना आवश्यक है, जो स्मृति पत्र के रूप में इस न्यास विलेख के साथ संलग्न है।

अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षी देता है किः-

1. अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति के लिये न्यास लेखक ने न्यासियों को पांच हजार रूपये की राशि प्रदान की है। (जिसे इसके पश्चात ''न्यास निधि'' सम्बोधित किया जायेगा, जिसमें नकदी अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा सभी प्रकार के निवेश/ विनियोग शामिल माने जायेगे। जिनमें उक्त नकदी या उसके किसी भाग को समय समय पर रूपान्तरित किया जाता है, निवेश किया जाता है या बदल दिया जाता है अथवा न्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा इस विलेख के माध्यम से या इस विलेख के सम्बन्ध में किसी कानून के लागू होने के कारण या अन्यथा उनके हाथ में आया है, को भी समाहित माना जायेगा) तथा न्यासियों को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी एवं अपने कब्जे में रखनी

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

होगी, जो कि इसके पश्चात बतायी गई शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों एवं घोषणाओं के अधीन होगी।

2. <u>न्यास का नाम</u> : 'मनंजय फाउण्डेशन' होगा तथा जिसका वर्तमान कार्यालय– 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर–302031 में स्थित होगा, जिसे समय समय पर न्यासियों द्वारा 2/3 बहुत से निर्णय लेकर अन्य स्थान/ स्थानों में स्थापित किया जा सकेगा।

3. <u>स्मृति पत्र</u>

1. न्यास का नाम : 'मनंजय फाउण्डेशन'

2. न्यास का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण भारतवर्ष

3. न्यास का पताः 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर–302031

4. <u>न्यास के उद्देश्यः</u>

1. यह कि सामाजिक कल्याण एवं समाज के उत्थान के लिये कार्य करना एवं समाज को अग्रसर एवं सामाजिक कुरूतियों से समाज उज्जवल भविष्य के लिये विकलांगो के उत्थान एवं विकलांगो आत्मबल प्रदान करने के लिये उचित कदम उठाना।

ATTESTED
NOTARY
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/9/2025

Copyright

2. यह कि समाज में जो कि वृद्धजन जो कि शारीरिक रूप से चलने में असमर्थ है, उनको शारीरिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुये उन्हे अपने कदमों से चलाने के लिये हमेशा तैयार एवं तत्पर रहना।

3. यह कि समाज में वृद्धजनों के लिये वृद्ध आश्रमों में निशुल्क फिजियों का कैम्प लगाना एवं निशुल्क दवाईयाँ वितरण करना, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके एवं जीवन के अन्तिम पडाव में उनकी मदद करने की इस फाउण्डेशन के पहला कर्तव्य होगा।

4. यह कि समाज जो कि निशक्तजन एवं विकलांग है, जो कि चलने असमर्थ है, उनके लिये ऑथ्रोसिस एवं प्रोथेसिंस बनाकर देने का कार्य करना एवं उनके लिये विल चेयर सुविधा एवं विकलांग साईकिल एवं विकलांग साईकिल निशुल्क उपलब्ध कराना एवं जिससे कि समाज में विकलांगों के प्रति जागरूकता लाना जैसे कदम इस फाउण्डेशन के प्राथमिक उद्देश्य होगें।

ATTESTED
District Jaipur ... INDIA
6/5/2025

5. यह कि समाज में आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लिये मासिक भोजन, सुविधा एंव जरूरत की वस्तु उपलब्ध

Copyright

कराना एवं उनके लिये राशन वितरण करना, जिससे की समाज की आशिंक रूप से पिछडा वर्ग को समाज के समान लाकर खडे करने के लिये जो भी माकूल कदम उठाये जाने आवश्यक होगे, वह सभी माकूल कदम उठाना।

6. उद्देश्यों को कार्यविन्वत करने के लिये शिविर, कार्यशाला, वक्तवादि प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

7. धार्मिक व्यक्तियों के साथ सभी प्रकार से मिलकर संगठित रहना।

8. इच्छुक व्यक्तियों को योग्यतानुसार सेवा के अवसर उपलब्ध करवाना।

9. सरकारी, गैरसरकारी एवं जनसहयोग के माध्यम से पेडों की स्थापना करवाना तथा संरक्षण और संवर्धन करना।

10. सरकारी, गैर सरकारी एवं जनसहयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करना एवं पेडों की संख्या में वृद्धि करना।

11. आमजन के उपयोग तथा लाभ हेतु चिकित्सालयों, चिकित्सा, परिचारिका संस्थानों, औषधालयों, बाल-कल्याण, केन्द्रों एवं इसी जैसे संस्थानों की स्थापना करना, विकास करना एवं अनुरक्षण करना।

ATTESTED
NOTARY
District Jaipur INDIA
6/4/2025

Copyright

12. विद्यार्थीयों और आम जनता में ज्ञान के प्रसार एवं शिक्षा की वृद्धि तथा विकास हेतु वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, शोध एवं अन्य संस्थानों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।

13. देश में विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्यविधा, ललित कलाओं के उत्थान हेतु संस्थानों की स्थापना, समर्थन, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना एवं उनको बढाना देना।

14. आमजन तक गुणवत्तायुक्त चिकित्सा उपलब्ध करने हेतु संस्थानों की स्थापना करवाना।

15. पर्यावरण, नदियों, शहरों, कस्बों एवं गांवों को प्रदूषण मुक्त कराने और जल संरक्षण हेतु सरकारी और गैर सरकारी प्रयास करना।

16. जनजागरूकता के माध्यम से किसानों में परम्परागत और आधुनिक तकनीकी के समन्वय से उन्नति खेती के विकास में योगदान देना।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

Copyright

17. आम जनता के उपयोग हेतु उद्यानों, बगीचों, व्यायाम, शालाओं, खेलकूद मंडलों, धर्मशालाओं तथा विश्राम गृहों आदि की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण करना।

18. वृद्धालयों, अनाथालयों की स्थापना, अनुरक्षण, संचालन करना अथवा सहायता करना। निर्धन, जरूरतमंद एवं असहाय लोगो, अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं बुढे लोगो की सहायता और पुर्नवास और पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना करवाना।

19. शारीरिक रूप से विकलांग एवं असक्षम या मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये संस्थानों का विकास एवं स्थापना, संचालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, कपडे या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना।

20. नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण, संचालन करना।

21. किसानों की मदद हेतु गोदाम, शीत गृह, बीज केन्द्र, खाद केन्द्र, गोबर गैस प्लान्ट, परम्परागत और गैर परम्परागत ऊर्जा व्यवस्था करना।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

22. शासन, प्रशासन और जनसहयोग के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल (दर्भिक्ष), तूफान (चकवात), भूकंप बाढ, आगजनी, महामारी आदि के समय पीडित जरूरतमंद लोगो की सहायता एवं राहत प्रदान करना।

23. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैठकों, सभाओं, संगोष्ठियों, जनरैलियों, जनसभाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों, प्रतिस्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना।

24. न्यास के समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं, ट्रस्टों समितियों (सोसाईटियों) संगठनों, संस्थानों आदि के साथ समन्वयन करना।

25. समाज और देश के विकास हेतु वैधानिक माध्यम से चन्दा, चल और अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

26. समाज के जरूरतमंद या असहाय परिवार की कन्या का दहेजमुक्त विवाह कराने हेतु सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करना।

27. किसी भी उद्देश्य के कियान्यवन एवं पूर्ति हेतु न्यासियों की सर्वसहमति से पृथक पृथक समितियों का गठन करना।

NOTARY GOVT. OF INDIA
ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/5/2025
Copyright

5. नियमावली

1. न्यास का नाम : 'मनंजय फाउण्डेशन'

2. न्यास का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।

3. न्यास का पताः 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031

4. संस्थापक सदस्य : श्री अजय शर्मा पुत्र विशम्भर दयाल शर्मा, उम्र 25 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी बोहरा की ढाणी, कालूवास, दौसा, राजस्थान-303505, हाल निवासी 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 (आधार सख्या 577726312248) एक (1) व्यक्ति है, जिन्होने इस न्यास के गठन के विचार की कल्पना की थी, ट्रस्ट और ट्रस्ट के निर्माण के लिये गैर वापसी योग्यदान के रूप में संस्थापक संरक्षक ने 5000/-रूपये का योगदान आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगा। किसी संस्थापक सदस्य की मृत्यु के मामले में या यदि उनमें से कोई भी स्वयं का विश्वास छोड देता है या किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिये

ATTESTED
NOTARY
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/9/2024

Copyright

निष्कासित कर दिया जाता है, तो ट्रस्ट के साथ इस श्रेणी के शेष सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **सामान्य सदस्य** : जो व्यक्ति न्यास के विकास हेतु राशि 1100/-रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह न्यासियों की सर्वसहमति से न्यास का सामान्य सदस्य होगा।

7. **विशेष सदस्य** : प्रत्येक पदाधिकारी विशेष सदस्य होगा, जिसकी सदस्यता शुल्क राशि 5100/-रुपये होगी।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :

   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

9. **<u>परिभाषायेः</u>**

   1. "समिति" से तात्पर्य पंजीकृत संस्था 'मनंजय फाउण्डेशन' जयपुर से है, जिसका वर्तमान कार्यालय 91, बोहरा सदन, श्री श्याम विहार, विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर-302031 में स्थित है।

ATTESTED
District Jaipur ... INDIA
6/4/2025

Copyright

2. "मनंजय फाउण्डेशन" से तात्पर्य मनंजय फाउण्डेशन जयपुर से है, जिसमें समानुकुल प्रस्ताव पारित कर राज्य स्तर तक विस्तार किया जा सकता है।

3. "ट्रस्ट" से तात्पर्य मनंजय फाउण्डेशन ट्रस्ट, जयपुर से है।

10. सदस्यता एवं सदस्यता का वर्गीकरण : कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो एवं इस ट्रस्ट के घोषित उद्देश्यों की पूर्ति में रूचि एवं आस्था रखता हो तथा समाज के हितों को सर्वोपरि समझता हो तथा वर्गीकरण के अनुसार ट्रस्ट को धनराशि दान स्वरूप प्रदान करता हो, वह व्यक्ति इस ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी सदस्य हो सकेगा।

11. संरक्षक ट्रस्टी : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा संस्था की भूमि एवं भवन निर्माण हेतु 01 लाख रूपये या उससे अधिक की धनराशि इस ट्रस्ट का दान देगे वे इस ट्रस्ट में संरक्षक ट्रस्टी सदस्य होगे।

12. विशिष्ट ट्रस्टी : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा संस्था की भूमि एवं भवन निर्माण हेतु 5100/-रूपये अक्षरे पांच हजार एक सौ रूपये या उससे अधिक की धनराशि इस ट्रस्ट को दान देगे

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

Copyright

वे इस ट्रस्ट में विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य होगे, जो कि तीन वर्ष के लिये होगा।

13. **साधारण ट्रस्टी** : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा संस्था की भूमि एवं भवन निर्माण हेतु 2100/-रूपये अक्षरे दो हजार एक सौ रूपये या उससे अधिक की धनराशि इस ट्रस्ट को दान देगे वे इस ट्रस्ट में साधारण ट्रस्टी सदस्य होगे। जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा।

14. उपरोक्त अनुसार दान, चन्दा, सहयोग राशि किसी फर्म संस्था, कम्पनी, ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है तो सदस्यता उस फर्म, संस्था या कम्पनी, ट्रस्ट के नाम की होगी, किन्तु, उसके द्वारा नामित व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में इस ट्रस्ट में ट्रस्टी समझा जावेगा।

15. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित संस्था के लिये मनंजय फाउण्डेशन जयपुर को अब तक जिन दानदाता महानुभावों ने दान/ चन्दा उपरोक्त अनुसार प्रदान किया है, वह सभी दानदाता उपरोक्त श्रेणीवार इस ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य माने जावेगे।

16. **साधारण सभा** : इस ट्रस्ट डीड (न्यासपत्र) की मद सख्या 6 के अनुसार समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगे अर्थात सभी सदस्य सामुहिक रूप से साधारण सभा

ATTESTED
District Jaipur ... INDIA
6/4/2015

के सदस्य होगे। साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होगे :-

(A) इस ट्रस्ट के संचालन हेतु एवं दैनिक नित्य प्रतिदिन के कार्यो के सम्पादन हेतु प्रबन्धक मण्डल (Board of Trustees) का निर्वाचन करना।

(B) वार्षिक बजट का निर्धारण करना – स्वीकृति कर पारित करना।

(C) प्रबन्धक मण्डल द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टिकरण करना।

(D) कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ट्रस्ट डीड में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।

(E) साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकतानुसार होने पर विशेष सभा का आयोजन अध्यक्ष/ महासचिव के द्वारा पर्याप्त सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(F) साधारण सभा की बैठक की कोरम संख्या कुल सदस्यों की 1/3 होगी। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जावेगी

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2023

तथा ऐसी स्थगित सभा के आयोजन के कोरम की आवश्यकता नही होगी।

(G) वार्षिक बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व तथा विशेष बैटक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

(H) कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य लिखित आवेदन देकर किसी विषय विशेष के लिये एक माह के अन्दर साधारण सभा के आयोजन की मांग करा सकेगे। अगर ऐसी मांग पर पदाधिकारियों द्वारा सभा नही बुलाई जाती है तो आवेदक सदस्य स्वंय ऐसी सभा का स्वंय आयोजन कर सकेगे। सभा में विचार किये गये विषयवार निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(I) साधारण सभा की समस्त कार्यवाही विचार विमर्श, निर्णय इत्यादि को साधारण सभा की कार्यवाही रजिस्टर में लेखबद्ध किया जावेगा एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज कराये जाने होगे। कार्यवाही रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/9/2023

17. <u>प्रबन्धक मण्डल (Board of Truestees)</u> : इस न्यास के संचालन हेतु 5 सदस्यों का एक प्रबन्धक मण्डल होगा, जिसका कार्यकाल

5 वर्ष का रहेगा, प्रबन्धक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा :-

(A) विशिष्ट ट्रस्टी में से 6 सदस्यों का चयन इस श्रेणी के ट्रस्टीयों द्वारा इस श्रेणी के ट्रस्टीयों में से ही किया जावेगा।

(B) साधारण ट्रस्टी में से तीन सदस्यों का चयन इस श्रेणी के ट्रस्टीयों द्वारा इस श्रेणी के ट्रस्टीयों मे ही किया जावेगा।

(C) मनंजय फाउण्डेशन जयपुर (पंजीकृत संस्था) के अध्यक्ष एवं महामंत्री इस ट्रस्ट के प्रबन्धक मण्डल में पदेन सदस्य होगे।

(D) यह कि प्रबन्धक मण्डल का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कार्यरत प्रबन्धक मण्डल द्वारा की जावेगी। उसे नियुक्ति के 10 दिवस में श्रेणीवार मतदाता ट्रस्टी सदस्यों की सूची अर्थात साधारण सभा के कुल सदस्यों की सूची उपलब्ध करायी जावेगी। जिसके आधार पर चुनाव अधिकारी आगामी 5 वर्ष के लिये नवीन प्रबन्धक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही मतदान द्वारा सम्पन्न करायेगा। निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/4/2025

Copyright

एवं बाध्यकारी होगा। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की पत्रावली/ रिकॉर्ड संधारित करेगा।

(E) यह कि प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों में किसी समय किसी कार्यकाल में किसी भी श्रेणी में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उस श्रेणी के दान दाताओं में से किसी भी दानदाता को प्रबन्धक मण्डल में सदस्य हेतु प्रबन्धक मण्डल द्वारा, शेष अवधि के लिये सहवरित/ मनोनित किया जावेगा।

18. प्रबन्ध मण्डल (Board of Truestees) के पदाधिकारी :

(A) प्रबन्धक मण्डल द्वारा प्रबन्धक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों में से निम्न प्रकार पदाधिकारी निर्वाचित किये जायेगे, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। मनंजय फाउण्डेशन, जयपुर के पदेन सदस्य इस प्रबन्धक मण्डल में पदाधिकारी नही हो सकेगेः अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, महासचिव-एक, कोषाध्यक्ष एक, शेष सदस्य रहेगे।

(B) प्रथम प्रबन्धक मण्डल- इस न्यास पत्र में घोषित व्यवस्था के अनुसार प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना वर्तमान में सम्भव नही है, क्योकि अभी दानदाताओं

की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नही है, इस प्रथम प्रबन्धक मण्डल द्वारा ट्रस्ट के घोषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रारम्भिक समस्त कार्यवाहियाँ सम्पादित की जावेगी, जो प्रथम न्यासी नियुक्त किये जाते है, जो निम्न प्रकार हैः-

1. डॉ अजय शर्मा (अध्यक्ष)
2. विशंभर दयाल शर्मा (उपाध्यक्ष)
3. मनिषा शर्मा (महासचिव)
4. श्रीमती छोटी देवी (कोषाध्यक्ष)
5. मनिषा शर्मा (महामंत्री)

19. <u>प्रबन्धक मण्डल की सभाये :</u>

(A) यह कि प्रबन्धक मण्डल की सभा प्रति तीन माह में हुआ करेगी, जिसकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित तीन दिवस पूर्व प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों के पास भेजी जावेगी।

(B) यह कि अतिआवश्यक सभा की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष की आज्ञा लेकर अथवा प्रबन्धक मण्डल के 2/3 सदस्यों से लिखित निवेदन प्राप्त होने पर आयोजित की जा सकेगी, जिसकी सूचना सदस्यों के पास 24 घण्टे (एक दिन) पूर्व भेजनी होगी।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/5/2025

(C) यह कि जो सदस्य भाग सभा में एजेण्डे के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव रखना चाहेगे, उन्हे न्यूनतम दो सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त करके महासचिव के पास भेजना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय अध्यक्ष की आज्ञा के बिना नही रखा जावेगा।

(D) यह कि प्रबन्धक मण्डल की सभा के सभी कोरम 5 सदस्यों का होगा एवं यदि कोरम पूर्ण न हो तो सभा स्थगित कर 30 मिनट पश्चात स्थगित सभा पुनः उसी स्थान पर बुलाई जा सकेगी और उन सभा में कोरम का प्रश्न बाधक नही होगा व केवल स्थगित सभा के विषयों के लिये विचार विचार व सूचना में दर्ज होनी चाहिये।

(E) यह कि प्रबन्धक मण्डल की प्रत्येक सभाओं की कार्यवाही विवरणिका (मिनिट्स बुक) संधारित की जावेगी।

20. <u>प्रन्यासियों के अधिकार एवं कर्तव्य :</u>

(A) इस ट्रस्ट के प्रबन्धक मण्डल द्वारा समस्त चल व अचल सम्पत्ति का विवरण, परिपत्र, आय व्यय लेखों का समुचित रूप से संधारण किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षित प्रतियां समस्त सदस्यों को सुचनार्थ एवं

NOTARY GOVT. OF INDIA
ATTESTED District Jaipur Rajasthan INDIA 6/4/2025
Copyright

अवलोकनार्थ प्रेषित की जावेगी। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धक मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष की जावेगी एवं साधारण सभा में प्रस्तुत की जावेगी।

(B) बार्षिक आय व्यय की लेखा पुस्तकों का संधारण करना, अर्थ संग्रह, अचल सम्पत्ति का उपार्जन, प्राप्त धनराशि का समुचित रूप से उपयोग करते हुये समस्त आय- व्यय को सुचारू रूप से प्रबन्ध करना आदि।

(C) प्रबन्ध मण्डल की सभा में किसी सदस्य द्वारा दुर्व्यवहार करने पर अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत कार्य अथवा आचरण करने पर ऐसे सदस्य को प्रबन्धक मण्डल की सभा में मण्डल के कुल सदस्यों की सख्या 2/3 मत प्राप्त होने पर प्रबन्धक मण्डल से पृथक करने का अधिकार होगा और यह निर्णय अन्तिम होगा।

(D) आवश्यकता पडने पर किसी कार्य विशेष की क्रियान्विति के लिये उप समितियाँ बनाने का अधिकार होगा। ऐसा उपसमितियाँ निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में ही कार्य करने के लिये अधिकृत होगी। जिनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही होगा। ऐसे कार्य के निष्पादन हो जाने पर ऐसी समिति

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/5/2025

Copyright

स्वतः भंग समझी जावेगी तथा ऐसी उपसमिति का कार्यकाल प्रबन्धक मण्डल के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जावेगा।

(E) <u>बैंक खाताः</u> ट्रस्ट का एक अथवा अधिक बैंक, खाता ट्रस्ट के नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रमाणित शिड्यूल बैंक–बैंक ऑफ बडौदा शाखा बगराना, जयपुर, IFS Code: BARB0BAGRAN, MICR Code: 302012046, Branch Code:BAGRAN में संधारित किया जावेगा। जिसका संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा।

(F) यह कि किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में आवश्यकतानुसार उचित समझे जाने पर न्यास की धनराशि का निवेश किया जा सकता है, इसमें भी हस्ताक्षर बैंक, खाते के नियमानुसार ही होगे।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA.
6/5/2025

(G) यह कि सरकार, अर्द्धसरकारी न्यायालय व अन्य विभागों में ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी कार्य के नियमित अध्यक्ष को फॉर एण्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रबन्धक मण्डल कार्य करने एवं

समस्त पत्राचार एवं समुचित रूप से जवाब देही करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व होगा।

(H) यह कि ट्रस्ट की किसी भी धनराशि को परिस्थितियों के कारण बट्टा खाते लिखने से पूर्व प्रबन्धक मण्डल से सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत लेनी होगी।

(I) यह कि प्रबन्धक मण्डल को संस्था के किसी भी भाग या पूर्ण भवन परिसर को मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक शैक्षणिक आदि कार्यो के लिये भवन उपयोग की अनुमति हेतु शुल्क निर्धारित करने एंव नियम बनाने का अधिकार होगा।

(J) यह कि प्रबन्धक मण्डल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये आय व्यय का अनुमानित बजट वर्ष आरम्भ से पूर्व बनाकर प्रबन्धक मण्डल से अनुमोदित कराया जावेगा।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA

(K) यह कि ट्रस्ट के हित में एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों व संचालित गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये, उचित संचालन एवं प्रबन्धक हेतु आवश्यक समझे जाने पर नियम उपनियम में परिवर्तन एवं संशोधन किये जा सकते है।

Copyright

(L) यह कि किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण अथवा खरीद सामग्री जिसकी कीमत अनुमानित 5 लाख रूपये या उससे अधिक हो, ऐसा कार्य अथवा खरीद हेतु उचित रूप से निविदाएं स्थानीय समाचार पत्र में निविदा, आमंत्रण प्रकाशित की जाकर निविदाएं आमंत्रित की जावेगी। तदनुसार प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रबन्धक मण्डल द्वारा निर्णय किया जाकर सम्बन्धित कार्य करवाये जायेगे।

21. **पंजीयन** : इस ट्रस्ट का पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के नियमानुसार देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार में तथा आवश्यकतानुसार अन्य सम्बन्धित विभागों में कराया जा सकेगा। इस विभागों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना यथा सम्भव आवश्यक रूप से की जावेगी। इस प्रन्यास द्वारा अर्थात इस न्यास के समस्त प्रन्यासियों द्वारा प्रन्यास संचालन के लिये भारतीय न्यास अधिनियम 1882 आयकर अधिनियम 1961 एवं समय संशोधित के प्रावधानों की अक्षरक्षः पालना की जायेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी विधि/प्रावधानों की पालना की जावेगी एवं किसी प्रकार के

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/2/2025

परिवर्तन, संशोधन की दशा में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को नियमानुसार रूप से सूचित किया जावेगा।

22. <u>विघटनः</u> इस ट्रस्ट का विघटन किसी भी समय नही किया जायेगा, किन्तु किन्ही परिस्थितियों में संचालन किया जाना असम्भव हो जाने अथवा विघटन किया जाना आवश्यक हो जावे तो ऐसी दशा में कुल ट्रस्टीयों की साधारण सभा में तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाकर तद्समय इस ट्रस्ट की समस्त चल- अचल सम्पत्तियाँ जो समस्त दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो शेष रहे, वे सब संस्था को अथवा अन्य समान उद्देश्यों वाली कार्यरत संस्था की किसी पंजीकृत संस्था को यथावत हस्तान्तरित की जावेगी अर्थात ट्रस्ट के ट्रस्टीयों में किसी प्रकार का किसी सम्पत्ति का विभाजन/ वितरण नही किया जावेगा।

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA

अतः यह हम न्यासकर्ताओं ने अपनी स्थिरबुद्धि एवं स्वस्थ्यचित्त अवस्था में, बिना किसी दवाब के, व उत्पीडन रहित, स्वेच्छा से परमार्थिक, सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लोक न्यास का गठन कर समिति की सभा दिनांक 01.01.2025 में स्वीकृत व अनुमोदित होने पर स्टाम्प पेपर कीमती रूपया 500/-रूपये एवं पाई पेपर 25 पर

टंकित करवाकर, पढ, सुन व समझकर अपने अपने हस्ताक्षर उपस्थित साक्षीगण के समक्ष कर दिये है, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक : 6/4/2025

जयपुर

दिनांक : 6/4/2025

हस्ताक्षर संस्थापक न्यासकर्तागण

(श्री अजय शर्मा)

(आधार सख्या 577726312248)

(विशम्बर दयाल शर्मा)

(आधार सख्या 778144071020)

(छोटी देवी)

(आधार सख्या 713349627867)

(मनिषा शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद शर्मा)

(आधार सख्या 393142297836)

(मनिषा शर्मा पुत्री विशम्भर दयाल शर्मा)

(आधार सख्या 329357376245)

Identified by
Ajay Sharma
DR AJAY SHARMA

ATTESTED
District Jaipur Rajasthan INDIA
6/2/2025

हस्ताक्षर गवाहान :–

(1) मधु

नाम : मधु देवी
पिता/पति का नाम : जगदीश प्रसाद
आयु साल, जाति 55 ब्राह्मण
निवासी– जामडोली जयपुर

(2) मेघा पचरिया

नाम : मेघा पचरिया
पिता/पति का नाम : राजेन्द्र कुमार
आयु साल, जाति 26
निवासी– आगरा रोड सिविल लाइन

Copyright